न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी–

मुरारी लाल शर्मा
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
82 / 2019 / प्रा.पत्र / 2019	13.12.2019	28.10.2021

मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.... प्रार्थी

बनाम

1–श्री हरीश कुमार भागवानी पुत्र श्री घनश्याम दास भागवानी विक्रेता मैसर्स गजानन्द हरीश कुमार बस स्टैण्ड के पास टोडारायसिंह जिला टोंक (राज.) निवासी मूर्ति मोहल्ला वार्ड नं. 7 टोडारायससिंह जिला टोंक (राज.)

2–श्री घनश्याम दास भागवानी पुत्र श्री लोकेश मल भागवानी प्रोपरायटर मैसर्स गजानन्द हरीश कुमार बस स्टैण्ड केक पास टोडारायसिंह जिला टोंक (राज.) निवासी मूर्ति मोहल्ला वार्ड नं. 7 टोडारायससिंह जिला टोंक (राज.)

3–मैसर्स गजानन्द हरीश कुमार बस स्टैण्ड केक पास टोडारायसिंह जिला टोंक (राज.)

...... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–

1–प्रार्थी की ओर से श्री मदनलाल गूर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।

2–अप्रार्थीगण उपस्थित

:–निर्णय–: **दिनांक 28.10.2021**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 25.09.2019 को समय 5.21 पी.एम पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स गजानन्द हरीश कुमार बस स्टैण्ड के पास टोडारायसिंह जिला टोंक (राज.)पर पहुंचां। विक्रेता की हैसियत से श्री हरीश कुमार भागवानी पुत्र श्री घनश्याम दास भागवानी विक्रेता मैसर्स गजानन्द हरीश कुमार बस स्टैण्ड के पास टोडारायसिंह जिला टोंक (राज.) निवासी मूर्ति मोहल्ला वार्ड नं. 7 टोडारायससिंह जिला टोंक (राज.) खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का विक्रेता होना स्वीकार किया एवं मौके पर [illegible] पत्र होना जाहिर किया तथा उक्त फर्म का प्रोपरायटर श्री घनश्याम दास भागवानी [illegible]।

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.11.29 10:30:33 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान मे **शुगर कन्फैक्शनरी आकाश स्पेशल मिल्क पेडा मस्त मलाई मूल पैक (Sugar Confectionary Aakash Special Milk Peda Mast Malai Origional Pack)** जिसके बैच नम्बर एंव पैकिंग की दिनांक अनुपस्थित थी,रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर. विक्रेता श्री हरीश कुमार भागवानी को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता हरीश कुमार भागवानी एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा दुकान की रैक मे 720–720 ग्राम के 14 पैकेट **शुगर कन्फैक्शनरी आकाश स्पेशल मिल्क पेडा मस्त मलाई मूल पैक (Sugar Confectionary Aakash Special Milk Peda Mast Malai Origional Pack)**रखे हुये मे से 720–720 ग्राम के ज्यो का त्यो साफ प्रिन्टेड 4 मूल पैक वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत विक्रेता. श्री हरीश कुमार भागवानी को रू0 292/–अक्षरे दौ सौ बियानवे रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा **शुगर कन्फैक्शनरी आकाश स्पेशल मिल्क पेडा मस्त मलाई मूल पैक (Sugar Confectionary Aakash Special Milk Peda Mast Malai Origional Pack)** 720–720 ग्राम के 4 नग कुल मात्रा 2880 ग्राम को 720–720 ग्राम के पेकटो को बराबर–बराबर (एक भाग 720 ग्राम) अलग–अलग ज्यो का त्यो साफ प्रिन्टेड खाकी कागज से लपेटकर चार भाग तैयार कर एंव चारो नमूना भागो के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी. ओ.कोड एवं क्रमांक I–2293 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी. ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–2293 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता. हरीश कुमार भागवानी के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा कराकर रसीद [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.11.29 10:30:33 IST
Reason: SelfAttested

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को [illegible] ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2019/2368 दिनांक 11.11.2019 के द्वारा

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/2126/एक्ट/2019/1673 दिनांक 09.10.2019 अनुसार हरीश कुमार भागवानी से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया **शुगर कन्फैक्शनरी आकाश स्पेशल मिल्क पेडा मस्त मलाई मूल पैक** (Sugar Confectionary Aakash Special Milk Peda Mast Malai Origional Pack) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 3(1) (zf) (c) (i) के अनुसार **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का **शुगर कन्फैक्शनरी आकाश स्पेशल मिल्क पेडा मस्त मलाई मूल पैक** (Sugar Confectionary Aakash Special Milk Peda Mast Malai Origional Pack) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **शुगर कन्फैक्शनरी आकाश स्पेशल मिल्क पेडा मस्त मलाई मूल पैक** (Sugar Confectionary Aakash Special Milk Peda Mast Malai Origional Pack) का विक्रय कर रहा था वह जांच में **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **शुगर कन्फैक्शनरी आकाश स्पेशल मिल्क पेडा मस्त मलाई मूल पैक** (Sugar Confectionary Aakash Special Milk Peda Mast Malai Origional Pack) का नमूना जांच में **मिथ्याछाप** (Mis-branded)स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री हरीश कुमार भागवानी पुत्र श्री घनश्याम दास भागवानी विक्रेता मैसर्स गजानन्द हरीश कुमार बस स्टैण्ड के पास टोडारायसिंह जिला टोंक (राज.) निवासी मूर्ति मोहल्ला वार्ड नं. 7 टोडारायससिंह जिला टोंक (राज.) पर शास्ति 10,000 (अक्षरे दस हजार रू0) अप्रार्थी श्री घनश्याम दास भागवानी पुत्र श्री लोकेश मल भागवानी प्रोपराईटर मैसर्स गजानन्द हरीश कुमार बस स्टैण्ड केक पास टोडारायसिंह जिला टोंक (राज.) निवासी मूर्ति मोहल्ला वार्ड नं. 7 टोडारायससिंह जिला टोंक (राज.) पर शास्ति 10,000 (अक्षरे दस हजार रू0) आरोपित की जाती हैअभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में जमा कराने से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.11.29 10:30:33 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

दिनांक 28.10.2021 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.10.2021 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

28.10.21

(मुरारी लाल शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.11.29 10:30:33 IST
Reason: SelfAttested